परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 25 नवम्बर 2015 पर आधारित है।

एशिया विकास बैंक

भारत : स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम – किश्त 1

परियोजना का नाम	स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
परियोजना संख्या	46268-002
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत /राशि	**ऋण 3186–आईएनडी : स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम – किश्त 1** साधारण पूंजी संसाधन – यूएस $ 200.00 मिलियन **ऋण : स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम – किश्त 1** यूरोपियन निवेश बैंक – यूएस $ 253.00 मिलियन **ऋण : स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम – किश्त 1** जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण – यूएस $ 280.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण अनुकूल स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/सब–सेक्टर	**वित्त** – आधारसंरचना वित्त और निवेश निधियां
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कोई लैंगिक तत्व नहीं

वर्णन	प्रस्तावित बहुकिश्त वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) की किश्त 1 में इरेडा को 200 मिलियन डालर राशि का वित्तीय मध्यावधि ऋण शामिल है। एशिया विकास बैंक (एडीबी) निधियों से इरेडा को भारत में ग्राह्य अक्षय ऊर्जा उपपरियोजनाओं को ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिनमें पवन, बायोमास, जलविद्युत, सौर तथा सहजनन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। किश्त 1 से निजी पूंजी को भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए सेक्टर ऋण के विस्तार में सहायता मिलेगी।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबद्धता	पृष्ठभूमि। भारत 2008–2013 के दौरान 6.8 प्रतिशत के औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ एक तेज आर्थिक रूपांतरण से गुजरा है। तथापि, बिजली का क्रमिक अभाव अधिक तेज आर्थिक विकास की राह में एक बाधा है, जिससे वाणिज्यिक गतिविधि में रूकावट आती है। लगभग 30 करोड़ नागरिक (भारत की जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत भाग) बिजली से वंचित हैं, जबकि अन्य अनेक को बिजली की आपूर्ति लगातार नहीं मिल पाती है। इस बीच, सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति अंतराल कम करने के प्रयास से जीवाश्म ईंधनों विशेषकर आयातित तेल (डीजल–आधारित सीमित विद्युज्जनन के लिए) तथा कोयले पर निर्भरता बढ़ी है। भारत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा अभाव के परस्पर विरोधी उद्देश्यों के संतुलन हेतु अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ा रहा है। मांग विश्लेषण। भारत सरकार की विद्युज्जनन क्षमता के समग्र विस्तार में एक मुख्य तत्व के रूप में अक्षय ऊर्जा विकास की महत्वाकांक्षी योजना है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक, भारत में विद्युज्जनन की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 234 गीगावाट थी, जिसमें लगभग 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा शमिल है। भारी नीतिगत प्रोत्साहनों के आधार पर, भारत की बारहवीं पंच–वर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2017 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 30 गीगावाट वृद्धि और तदुपरांत वित्तीय वर्ष 2022 तक और 45 गीगावाट वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस एमएफएफ की 10 वर्ष की अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्तपोषण चुनौतियां। भारत में अक्षय ऊर्जा विकास के उच्च स्तरों को कायम रखने के संबंध में परियोजना ऋण के लिए पर्याप्त दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण का अभाव एक बड़ी चुनौती है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की अपेक्षाकृत अधिक प्रति वाट लागत के कारण परियोजनाओं को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए ऋण की अवधि 12 वर्ष अथवा अधिक होनी अपेक्षित है। तथापि, भारतीय बाजार में ऐसी दीर्घावधि निधियां दुर्लभ हैं, जहां परियोजना ऋण मुख्यतः बैंक आधारित होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों को अंतर्निष्ठ आस्ति देयता असंतुलन के कारण अल्पावधि जमाओं से दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार भारत में बेस।।। पूंजी विनियमावली लागू किए जाने से बैंकों को पूंजी यथेष्टता और आस्ति देयता प्रबंधन पर कड़ी अपेक्षाओं के चलते अतिरिक्त पूंजी जुटानी होगी तथा अतिरिक्त दीर्घावधि निधियां जुटानी होंगी। इन दोनों कारणों से दीर्घावधि निधियों की लागतों में बढ़ोतरी होगी तथा परियोजना ऋण क्षमता सीमित हो जाएगी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। नवीन और नवीनेय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक अधीक्षण के अधीन, इरेडा एक पूर्णतया सरकार–स्वाधिकृत गैरबैंक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में अक्षय ऊर्जा निवेश प्रोत्साहन हेतु की गई थी। इरेडा लाभप्रदता वृद्धि के साथ सुपूंजीकृत है। इरेडा द्वारा 2008 से जारी किए गए करयोग्य बॉण्ड को स्थानीय मूल्यांकन अभिकरणों, जिनमें क्रेडिट एनालिसिस ऐण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर रेटिंग्स के नाम से प्रसिद्ध) तथा ब्रिकवर्क शामिल हैं, द्वारा AAA दर्जा दिया गया है। इरेडा की ऋणप्रदाय क्षमता भारत के कुल अक्षय ऊर्जा ऋण की लगभग 11 प्रतिशत है। इरेडा का गहन सेक्टर ज्ञान ; तकनीकी और वाणिज्यिक जोखिमों को समझने का अनुभव ; तथा इसका लाभप्रद दीर्घावधि पूंजी आधार इसको अन्य ऋणदाताओं से अलग स्थान देता है। यह इरेडा को 15 वर्ष तक के लिए सीमित आश्रय, नकदी प्रवाह–आधारित वित्तपोषण की क्षमता प्रदान करता है, जो भारत में अधिकांश वाणिज्यिक

बैंकों के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंक विशेष रूप से परियोजना की गुणवत्ता की परवाह नहीं करते हुए अपने मौजूदा, बड़े कार्पोरेट ग्राहकों के तुलनपत्र के आधार पर, परियोजना के बजाय नकदी प्रवाह आधार पर ऋण प्रदान करने के पक्षधर होते हैं। इरेडा की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को उनके नकदी प्रवाह के गुणदोषों तथा जोखिम प्रोफाइल्स पर ऋण प्रदान करने की योग्यता छोटे, कम पूंजीवाले प्रायोजकों की अच्छी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु सक्षम बनाती है। इससे परियोजना विकासकर्ताओं तथा निवेशयोग्य परियोजनाओं का समूह तैयार होता है, अतिरिक्त निजी पूंजी प्राप्त होती है तथा अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास सुकर होता है।

मार्ग मानचित्र। सन 2008 में, भारत ने ग्रीनहाउस उत्सर्जनों को सीमित करने तथा वित्तीय वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा द्वारा विद्युज्जनन में 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा स्थायी विकास को प्रोत्साहन देने हेतु जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना का श्रीगणेश किया। इस लक्ष्य पूर्ति की सहायता हेतु, सरकार इरेडा को विशिष्ट रूप से विशेषज्ञताप्राप्त अक्षय ऊर्जा वित्तपोषक का दर्जा प्रदान कर रही है। इरेडा के मध्यम अवधि से दीर्घ अवधि तक की व्यवसाय योजना (वित्तीय वर्ष 2014 वित्तीय वर्ष 2014) में लगभग 6.6 बिलियन का संवितरण शामिल है, जिसके फलस्वरूप 13.4 गीगावाट की अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता हासिल होगी। यह विस्तार पूर्ण करने के लिए, इरेडा अपनी क्षमता निर्माण कर रहा है प्रचालनों का मुख्यधारा में ला रहा हे तथा एडीबी और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहा है ताकि अक्षय ऊर्जा निवेश हेतु वर्द्धित सहायता की क्षमता हासिल की जा सके।

रणनीतिक संदर्भ। इरेडा को एडीबी की सहायता एडीबी की ऊर्जा नीति के साथ सुसंगत है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना तथा न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना सुकर बनाना शामिल है। यह भारत के लिए एडीबी की देश भागीदारी रणनीति 2013–2017 के साथ भी सुसंगत है, जिसमें स्वच्छ और नवीनेय ऊर्जा विस्तार पर बल दिया गया है। एडीबी की सहायता इसकी ऊर्जा सेक्टर मार्ग मानचित्र तथा वित्तीय सेक्टर विकास (आधारसंरचना निवेश उत्प्रेरण, जिसमें निवेश निधियों तथा क्रेडिट लाइन्स के माध्यम शामिल हैं) की दृष्टि से सीपीएस के भी अनुरूप है।

नीति संरचना। एडीबी की सहायता भारत की नीतियों तथा पहलों के अनुरूप है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा चिन्ताओं तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एकीकृत ऊर्जा नीति 2006 में नवीनेय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत को ऊर्जा सेक्टर विकास के लिए मुख्य स्तम्भ माना गया है। नई जल नीति 2008 में जलविद्युत निवेश तथा निविदा प्रक्रियाओं को धारानुप्रवाही बनाया गया है। सन 2010 में आरंभ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2022 तक 20,000 मेगावाट (MW) सौर शक्ति कार्यप्रवृत्त किए जाने का इरादा किया गया है। अक्षय ऊर्जा नीति प्रोत्साहनों में संभरण (उदाहरण के लिए अधिमान्य) टैरिफ, जनन–आधारित प्रोत्साहन तथा विद्युत वितरण उपयोगिताओं के लिए न्यूनतम अक्षय ऊर्जा क्रय अनिवार्यता हेतु स्थापित विनियम शामिल हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा सेक्टर में महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक दीर्घ–अवधि ऋण वित्तपोषण आरंभ करने द्वारा, एडीबी की सहायता इन सरकारी पहलो ंकी अनुपूर्ति, निजी सेक्टर निवेश उत्प्रेरण तथा सेक्टर विकास को सुकर बनाएगी।

निवेश कार्यक्रम। सरकार ने एडीबी से इरेडा के अक्षय ऊर्जा विकास लक्ष्य की पूर्ति हेतु उसको दीर्घावधि ऋण के हिस्से के रूप में 500 मिलियन डालर एमएफएफ उपलबध कराने का अनुरोध किया है। एमएफएफ अक्षय ऊर्जा में निजी सेक्टर निवेश के उत्प्रेरण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र संसाधनों (इरेडा से) को उत्तोलित करता है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों का पोषण, गरीबी उपशमन होने के साथ भारत के कार्बन पदचिन्ह का न्यूनीकरण होता है। एमएफएफ में इरेडा, विकास भागीदारों तथा एडीबी तकनीकी सहायता

	द्वारा सहायित व्यापक संस्थानिक क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल किया जाएगा। एमएफएफ विधि उपयोग करने के लिए उपयुक्त पूर्व शर्तें मौजूद हैं, जिनमें मार्ग मानचित्र एवं रणनीति, नीति संरचना तथा निवेश और वित्तपोषण योजनाएं शामिल हैं। एमएफएफ सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तथा एडीबी को संस्था की सहायता के लिए दीर्घावधि वचनबद्धता की अनुमति प्रदान करती है। एमएफएफ विधि एडीबी को इरेडा के साथ देश के मध्यम अवधि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ भारत में एडीबी की ऊर्जा रणनीति के अनुरूप काम करने की क्षमता प्रदान करती है। अधिक स्पष्ट रूप से, एमएफएफ दृष्टिकोण इरेडा को इसकी उपपरियोजना पाइपलाइन विकास के लिए जरूरी चरणबद्ध निधि प्रदान करता है तथा उपऋण निबन्धनों तथा इरेडा की ऋणप्रदाय अपेक्षाओं के संतुलन हेतु आवश्यक भावी किश्त संबंधी शर्तों के समायोजन हेतु नम्यता प्रदान करता है, जबकि नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद (जैसेकि स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, आंशिक जोखिम गारंटियां और अन्य क्रेडिट संवर्धन उत्पाद) ऑफर करने की संभावना परिरक्षित करता है।
प्रभाव	वर्द्धित अक्षय ऊर्जा आधारसंरचना

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	अक्षय ऊर्जा में निवेश सुगम हुआ
परिणाम की दिशा में प्रगति	

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की सहायतार्थ दीर्घावधि वित्तपोषण की वर्द्धित उपलब्धता। इरेडा की संस्थानिक क्षमता में सुधार।
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)	
भूभौगोलिक अवस्थिति	

सुरक्षोपाय संवर्ग

पर्यावरण	एफआई
अस्वैच्छिक पुनर्वास	एफआई
स्वदेशी लोग	एफआई

पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू	सम्यक् सतर्कता द्वारा निम्न की समीक्षा की जाएगी (i) इरेडा के वर्तमान सुरक्षोपाय नीतियां तथा संरचना, (ii) इरेडा के ट्रैक रिकार्ड तथा क्षमता का आकलन, (iii) एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के साथ अंतराल चिन्हित करना, (iv) एडीबी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देना तथा (v) अंतराल, यदि कोई है, पाटने के लिए क्षमता निर्माण।
अस्वैच्छिक	सम्यक् सतर्कता द्वारा निम्न की समीक्षा की जाएगी (i) इरेडा के वर्तमान सुरक्षोपाय नीतियां तथा संरचना, (ii)

पुनर्वास	इरेडा के ट्रैक रिकार्ड तथा क्षमता का आकलन, (iii) एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के साथ अंतराल चिन्हित करना, (iv) एडीबी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देना तथा (v) अंतराल, यदि कोई है, पाटने के लिए क्षमता निर्माण।
स्वदेशी लोग	सम्यक् सतर्कता द्वारा निम्न की समीक्षा की जाएगी (i) इरेडा के वर्तमान सुरक्षोपाय नीतियां तथा संरचना, (ii) इरेडा के ट्रैक रिकार्ड तथा क्षमता का आकलन, (iii) एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के साथ अंतराल चिन्हित करना, (iv) एडीबी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देना तथा (v) अंतराल, यदि कोई है, पाटने के लिए क्षमता निर्माण।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	निष्पादक अभिकरण (इरेडा) तथा उपपरियोजना स्तरों पर, क्रमानुसार (i) इरेडा की संस्थानिक क्षमता, जिसमें प्रबंधन संरचना, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रक्रियाएं, विद्यमान पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षोपाय पद्धति और उपपरियोजना में स्थानीय नियमों एवं विनियमों का अनुपालन ; तथा (ii) उपपरियोजना संरचना, वित्तीय निष्पादन, तकनीकी समीक्षा और पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षोपाय समीक्षाओं पर व्यापक परामर्श संचालित किए गए हैं। उपपरियोजना स्तर पर सम्यक् संतर्कता सुविधा के दौरान उपपरियोजना स्थलों के स्थानीय समुदायों के साथ भी परामर्श संचालित किए गए हैं।
परियोजना क्रियान्वयन के दौरान	सुविधा क्रियान्वन के दौरान, इरेडा एक पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षोपाय यूनिट की स्थापना, पूरे स्टाफ के साथ करेगा तथा एडीबी निधियों के अभिगम के समय पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षोपाय प्रबंधन प्रणाली में विकसित दिशानिर्देशों का पालन करेगा। इसमें उपपरियोजना स्तर पर परामर्श, जो पर्यावरण प्रभाव, स्वदेशी लोग तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास पर सम्यक् सतर्कता के लिए अपेक्षित हैं तथा जिसमें उपपरियोजना स्थलों पर स्थानीय समुदायों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा शामिल है।

व्यवसाय अवसर

परामर्शी सेवाए	एमएफएफ के के तहत किया जाने वाला सभी प्रापण एडीबी के प्रापण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। एडीबी इरेडा को अपने उपऋणियों से जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रिया अपनाने की मांग करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जब निवेश की मात्रा असाधारण रूप से बड़ी हो तथा ऐसी प्रक्रियाओ द्वारा मितव्ययिता तथा कुशलता पाई जा सकती हो। एडीबी के उपऋणों द्वारा वित्तपोषित सामग्री और सेवाओं के प्रापण हेतु, इरेडा सुनिश्चित करेगा कि मूल्य समुचित हैं तथा कि संबद्ध कारकों यथा सुपुर्दगी का समय, कुशलता, विश्वसनीयता, उपपरियोजना के लिए उपयुक्तता तथा (परामर्शी सेवाओं के लिए) गुणवत्ता तथा सक्षमता का ध्यान रखा गया है।

प्रापण	एमएफएफ के के तहत किया जाने वाला सभी प्रापण एडीबी के प्रापण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। एडीबी इरेडा को अपने उपऋणियों से जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रिया अपनाने की मांग करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जब निवेश की मात्रा असाधारण रूप से बड़ी हो तथा ऐसी प्रक्रियाओ द्वारा मितव्ययिता तथा कुशलता पाई जा सकती हो। एडीबी के उपऋणों द्वारा वित्तपोषित सामग्री और सेवाओं के प्रापण हेतु, इरेडा सुनिश्चित करेगा कि मूल्य समुचित हैं तथा कि संबद्ध कारकों यथा सुपुर्दगी का समय, कुशलता, विश्वसनीयता, उपपरियोजना के लिए उपयुक्तता तथा (परामर्शी सेवाओं के लिए) गुणवत्ता तथा सक्षमता का ध्यान रखा गया है।
जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	ऐन्कियन हुआंग
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	लोक प्रबंधन, वित्तीय सेक्टर तथा व्यापार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (इरेडा)** तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 भारत

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	29 मई 2014
अनुमोदन	17 नवम्बर 2014
अंतिम समीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	15 सितम्बर 2015

ऋण 3186–आईएनडी

मीलपत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर तिथि	प्रभावोत्पादकता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
17 नवम्बर 2014	27 अक्टूबर 2015	-	30 अप्रैल 2019	-	-

वित्तपोषण योजना		ऋण उपयोग			
	योग (राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)	तिथि	एडीबी	अन्य	शुद्ध प्रतिशत
परियोजना लागत	400.00	संचयी संविदा पुरस्कार			
एडीबी	200.00	17 नवम्बर 2014	0.00	0.00	0%
पूरक	200.00	संचयी संवितरण			
सहवित्तपोषण	0.00	17 नवम्बर 2014	0.00	0.00	0%

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त जानकारी होती है : पीडीएस चूंकि निरंतर चलने वाला कार्य होता है, अतः हो सकता है इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं हो, परंतु यह जैसे ही उपलब्ध होगी, इसमें सम्मिलिति की जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनंतिम और संकेतात्मक है।

एडीबी इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं को, किसी भी प्रकार के आश्वासन के बगैर, केवलतम संसाधन के रूप में उपलब्ध कराता है। जबकि एडीबी उच्च गुणवत्ता की विषयसामग्री उपलब्ध कराता है, तथापि उपलब्ध कराई गई जानकारी "जैसी है" आधार पर, व्यापारयोग्यता, किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनातिक्रमण की सीमानिर्धारण वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, लिखित या अभिप्रेत, के बिना उपलब्ध कराई जाती है। एडीबी विशेष रूप से ऐसी किसी भी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।